

नीति:

**वल्नेरेबल विक्टिम्स एंड विटनेसेज (कमजोर स्थिति वाले पीड़ित और गवाह)**

नीति कोड:

**VUL 1**

प्रभावी होने का दिनांक:

जनवरी 15, 2021

पार-संदर्भ:

ALT 1 BAI 1 CHA 1  
CHI 1 DIR 1 HAT 1  
IPV 1

सभी पीड़ितों और गवाहों के जोखिमों पर ध्यान दिए बिना, उन्हें आपराधिक न्याय-प्रक्रिया में भाग लेने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। बीसी प्रासिक्वूशन सर्विस मानती है कि कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों के समक्ष जटिल समस्याएं होती हैं और ऐसे मामलों की पहचान की जानी चाहिए तथा जो मुद्दे उठते हैं उनका समाधान अभियोजन के शुरू में जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, ताकि मुद्दों का उचित ढंग से समाधान किया जा सके।

इस नीति के उद्देश्यों के लिए, "गंभीर मामलों" में शामिल हैं, जिनमें "गंभीर व्यक्तिगत नुकसान" के अपराध, जो *क्रिमिनल कोड* की धारा 752 में निर्धारित किए गए हैं, और इसके साथ ही चाहे शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या प्रकृति में शोषक नुकसान का काफ़ी जोखिम शामिल होता है।

इस नीति में, व्यक्तियों को कमजोर पीड़ित स्थिति वाले गवाह माना जाता है, यदि उनकी अनूठी व्यक्तिगत विशेषताओं या परिस्थितियों, और मामले में उनकी भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यदि इस बात की पर्याप्त संभावना होती है कि न्याय प्रणाली में उस व्यक्ति की प्रभावी भागीदारी काफ़ी सीमा तक कम हो जाएगी, अथवा समाप्त हो जाएगी, यदि उनकी असाधारण व्यक्तिगत विशेषताओं या परिस्थितियों का समाधान करने के लिए आवास या सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती, इनमें शामिल हैं:

पीड़ितों और गवाहों की प्रासंगिक विशेषताओं या परिस्थितियों में जो कि फौजदारी न्याय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं, निम्नलिखित हैं:

- बुढ़ापा
- कनाडा में उपनिवेशवाद, विस्थापन और आवासीय विद्यालयों के इतिहास के निरंतर प्रभाव, जिसमें अंतर-पीढ़ीगत आघात और अन्य प्रणालीगत कारक शामिल हैं
- जातीय, धार्मिक, या सांस्कृतिक पहचान
- भ्रूण अल्कोहल स्पैक्ट्रम विकार या अन्य प्रतिकूल संज्ञानात्मक स्थितियां
- मानसिक स्वास्थ्य या अपंगता का मुद्दा
- शारीरिक स्वास्थ्य या अपंगता का मुद्दा
- पीड़ित या गवाह पर अभियुक्त की ताकत का दबदबा

- अनिश्चित कानूनी स्थिति (जैसे कि आप्रवासन स्थिति या न्यायालय के बकाया आदेश)
- यौन रुझान, लिंग पहचान या लिंग अभिव्यक्ति
- संप्रेषण की महत्वपूर्ण बाधाएं
- दुर्व्यवहार की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि
- सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चिंता
- सामाजिक पृथक्करण, गरीबी, या बेघर होना
- नशीले पदार्थों पर निर्भरता
- यौन सेवाएं देने वाले लोगों को हिंसा, शोषण और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है

पीड़ितों या गवाहों के तौर पर बच्चों या कमजोर युवाओं से जुड़े हुए मामलों के लिए क्राउन काउंसल को *चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेसिज़* ([CHI 1](#)) का भी हवाला देना चाहिए।

ऐसे मामले, जिनमें अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा शामिल हैं, के लिए क्राउन काउंसल को *इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस विक्टिम्स एंड विटनेसिज़* ([IPV 1](#)) का भी हवाला देना चाहिए।

## प्रक्रिया

गंभीर मामलों में, कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों की सहायता के लिए ताकि वे फौजदारी न्याय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें, क्राउन वकील को चाहिए कि वह:

- स्वयं पहल करते हुए अभियोजन के प्रारंभिक चरणों से लेकर उसके निष्कर्ष तक, कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों के साथ बातचीत स्थापित करने और बनाए रखने के लिए, तथा उन्हें अभियोजन की स्थिति के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करें
- पूरी अभियोजन प्रक्रिया के दौरान, जहां व्यावहारिक हो, आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर उपलब्ध किसी भी सहायता के बारे में कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों को जानकारी देने के लिए पुलिस, शेरिफ, परिवीक्षा अधिकारी अथवा पीड़ित सेवा (विक्टिम सर्विसेज़) के साथ मिलकर काम करें
- जब भी उपलब्ध हो, सांस्कृतिक या मूल संगठनों के साथ मिलकर काम करना, इनमें कमजोर पीड़ितों की सहायता करने के लिए पीड़ित या गवाह द्वारा पहचाने गए संगठन शामिल हैं
- सुनिश्चित करें कि प्रकाशन प्रतिबंधों, गवाही या प्रमाणन संबंधी सुविधाओं, अथवा सुरक्षा आदेशों के लिए न्यायालय में उचित आवेदन दिए जाएं
- जहां उपयुक्त हो, प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी उचित कदम उठाए, जिसमें शीघ्र समाधान चर्चा शुरू करना या जल्दी सुनवाई की तारीख के लिए अनुरोध करना शामिल है।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल को सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया लागू हों:

- इस प्रकार के मामलों की शीघ्र पहचान करना और उन्हें निर्दिष्ट करना

- जहां भी संभव हो, ऐसे क्राउन काउंसल को निर्दिष्ट करना जिसने प्रासंगिक विशेषज्ञता वाला प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जो शुरू से अंत तक प्रशासनिक स्टाफ़ के उसी सदस्य की सहायता से फ़ाइल का प्रबंध करते रहने के लिए उपलब्ध और तैयार है
- इन फाइलों की अतिरिक्त जटिलता को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किए गए क्राउन काउंसल को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना।

### शुरूआती महत्वपूर्ण बातें

क्राउन काउंसल को प्रथम अवसर पर ही *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.4 अथवा 486.5 के तहत एक आदेश के लिए आवेदन करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें निर्देश हो कि पीड़ित या गवाह की पहचान और कोई भी जानकारी जो कि पीड़ित या गवाह की पहचान का खुलासा कर सकती हो, किसी भी दस्तावेज़ में प्रकाशित नहीं की जाएगी या किसी भी तरह से प्रसारित नहीं की जाएगी।

विरले मामलों में, जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.31 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि गवाह की पहचान करा सकने वाली किसी भी जानकारी को कार्यवाही के दौरान प्रकट न किया जाए अथवा *क्रिमिनल कोड* की धारा 486.7 के तहत एक आदेश हेतु आवेदन देने पर भी विचार कर सकता है, ताकि गवाह को सुरक्षा दी जा सके। इस प्रकार का आवेदन देने से पहले, क्राउन काउंसल को किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श करना चाहिए।

जहां किसी मानसिक या शारीरिक विकलांगता के कारण कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह को प्रमाण बताने में कठिनाई हो, वहां क्राउन काउंसल को अभियोजन के शुरूआती चरण में ही विचार करना चाहिए कि क्या वीडियो टेप द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, जैसी कि *क्रिमिनल कोड* की धारा 715.2 में व्यवस्था है और, यदि आवश्यक हो, तो पुलिस से वीडियो बयान प्राप्त करने का अनुरोध करना चाहिए। इस धारा के तहत, एक कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह का रिकार्ड किया गया वीडियो बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जहां पीड़ित या गवाह वीडियो रिकॉर्डिंग की सामग्री को प्रमाणित और स्वीकार करता है।

जहां अपराध के समय बच्चा या युवा एक कमजोर पीड़ित था, तो क्राउन काउंसल को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या धारा 715.1 द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा सबूत पेश करना उचित है ([CHI 1](#))।

जहां इस प्रकार की प्रक्रिया या जांच संबंधी बाधा उत्पन्न होती है जो अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो, वहां क्राउन काउंसल को पुलिस और पीड़ित सेवा के साथ और यदि आवश्यक हो, तो वरिष्ठ पुलिस प्रबंधन और ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि समय पर प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा सके। इनमें निम्नलिखित पर आधारित बाधाएं शामिल हो सकती हैं:

- कमजोर पीड़ित या गवाह की अनिच्छा या दुश्मनी
- किसी कमजोर पीड़ित या गवाह की जगह पता करने या उसके साथ संचार बनाए रखने में कठिनाई
- न्यायालय या क्राउन काउंसल कार्यालय तक परिवहन प्राप्त करने में पीड़ित की या गवाह की असमर्थता
- फाइल सामग्री के अनुवाद की आवश्यकता
- आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में विलंब

जहां क्राउन काउंसल तय करता है कि एक कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह की सामाजिक सहायता या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिनके कारण फौजदारी न्याय प्रक्रिया में भाग लेने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता

है, वहां क्राउन काउंसल को यह जानने के लिए पुलिस और पीड़ित सेवा पूछना चाहिए कि क्या कोई ऐसी सामाजिक सहायता या सेवाएं हैं जो इस समस्या को हल कर सकती हों।

उन मामलों में जहां किसी कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह के लिए नुकसान का उल्लेखनीय खतरा हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक, और यह मानना तर्कसंगत हो, यदि उसे एकाधिक न्यायिक कार्यवाहियों में भाग लेना पड़े तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां क्राउन काउंसल को *डायरेक्ट इनडाईटमेंट* (DIR 1) की नीति की प्रयोज्यता पर विचार करना चाहिए।

## आरोप का निर्धारण

क्राउन काउंसल को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आरोप निर्धारण संबंधी निर्णय लेने में देरी होने से, विशेष तौर पर कमजोर पीड़ितों या गवाहों का भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है और आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने का उनका संकल्प या उनकी क्षमता कमजोर पड़ सकती है। क्राउन काउंसल को जितनी जल्दी संभव हो सके, आरोप निर्धारण संबंधी निर्णय लेने चाहिए।

क्राउन काउंसल को एक ऐसी रिपोर्ट, जिसमें एक मूल पीड़ित को शामिल करना होता है, का मूल्यांकन करते समय, क्राउन काउंसल को हिंसक अपराधों की शिकार के तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि अभियोजन पक्ष को मजबूत करने वाला एक जनहित कारक है।

यह निर्धारण करने में कि क्या वैकल्पिक उपायों के लिए रैफरल उपयुक्त हो सकता है, इसलिए क्राउन काउंसल को कमजोर पीड़ितों या गवाहों की सुरक्षा के लिए सतत आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। क्राउन काउंसल को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कमजोर पीड़ितों को सलाह दी जाती है कि उन्हें मूल उपचार क्षेत्रों सहित किसी भी वैकल्पिक उपायों संबंधी योजनाओं में भाग लेने से मना करने का अधिकार है। इस नीति के अंतर्गत आए मामले के किसी भी ऐसे रैफरल को क्षेत्रीय क्राउन काउंसल, निदेशक या उनके संबंधित डिप्टी (ऑल्टर्नेटिव्स टू प्रॉसिक्यूशन्स - एडल्ट (ALT 1)) द्वारा पहले से ही स्वीकृति ज़रूर देनी चाहिए।

यदि क्राउन काउंसल अभियुक्त पर आरोप तय न करने का निर्णय लेता है, तो उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 810.2, 810.1 अथवा 810.2 के तहत जमानत (रिकॉग्निजेंस) का प्रयास करना उचित होगा, जिसमें BC करेक्शंस ब्रांच द्वारा प्रशासित निगरानी तथा काउंसलिंग शर्तें शामिल हो सकती हैं।

## जमानत (बेल)

जब भी हिरासत आदेश अथवा रिहाई की शर्तों का प्रयास करके किसी कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह की सुरक्षा आवश्यक हो, वहां वारंट की मांग की जानी चाहिए *जमानत* के अनुरूप - एडल्ट (BAI 1)। जहां यह संभावना हो कि कोई आरोपी रिहा हो जाएगा, तो क्राउन काउंसल को उन शर्तों पर विचार करना चाहिए, जो सुरक्षा योजना के साथ कमजोर पीड़ित या गवाह की मदद करेंगी। क्राउन काउंसल को ऐसी शर्तें तैयार करने के लिए पुलिस, पीड़ित संबंधी सेवाओं, BC करेक्शंस, परिवीक्षा कार्मिकों या स्थानीय मूल या अन्य न्याय संगठनों और जहां लागू हो, मूल या अन्य बाल कल्याण एजेंसियों के साथ परामर्श करने के लिए विचार करना चाहिए। जहां आरोपी को हिरासत में लिया जाता है, वहां क्राउन काउंसल को *क्रिमिनल कोड* की धारा 515 (12) अथवा 516 (2) के अनुसार पीड़ित, गवाह अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति के संबंध में एक "कोई संपर्क नहीं" (नो कान्टैक्ट) आदेश प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए।

## अनिच्छुक गवाह

क्राउन काउंसल को यह समझना चाहिए कि कमजोर स्थिति वाले पीड़ित और गवाह फौजदारी न्याय प्रक्रिया में भाग लेने के अनिच्छुक हो सकते हैं। वे अपने साक्ष्य को कम से कम कर सकते हैं या वापस लेने का प्रयास कर सकते हैं। अनेक प्रकार के कारक सहयोग करने की उनकी इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें न्याय प्रणाली के साथ पिछली

नकारात्मक बातचीत शामिल होती है। क्राउन काउंसल को प्रमाणित करने के संबंध में उनके किसी भी संकोच के कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए और मुद्दों के समाधान की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। क्राउन काउंसल को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विशेषकर कमजोर स्थिति वाले पीड़ितों और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, और बाधित किया जा सकता है। यदि किसी गवाह को धमकाया गया है अथवा बाधित किया गया है, तो क्राउन काउंसल को चाहिए कि वह जांच के लिए मामला पुलिस को रेफर कर दे।

उपरोक्त के प्रकाश में, क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि यह आवश्यक और उचित होगा कि कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह को प्रमाणित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्मन दिया जाए। तथापि, ऐसे मामलों में, मटीरियल विटनेस वारंट के लिए आवेदन करने से पहले, क्राउन काउंसल को अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्राउन काउंसल से परामर्श करना चाहिए और मूल महिलाओं और लड़कियों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पीड़ित या गवाह को आपराधिक न्याय-प्रणाली से अलग करने या उनके आश्रितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की क्षमता पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा, क्राउन काउंसल को यह विचार करना चाहिए कि क्या गवाह की गवाही के बिना अन्य उपलब्ध साक्ष्य के साथ आरोप निर्धारण मानक (CHA 1) पूरे किए जा सकते हैं।

## सुनवाई की तैयारी

जहां व्यावहारिक हो, क्राउन काउंसल को उन छूटों या सुविधाओं के बारे में गवाह को सूचित करना चाहिए जो क्रिमिनल कोड की धारा 486 से 486.31 और 486.7 के तहत उपलब्ध हो सकती हैं। जहां उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह भी शामिल है कि गवाह किसी छूट के लिए अनुरोध करता है या नहीं, एक आदेश के लिए आवेदन करना चाहिए।

उपयुक्त परिस्थितियों में, न्यायालय निम्नलिखित के लिए आदेश दे सकता है:

- जनता को बाहर रखने के लिए अथवा यह कि गवाह सावर्जनिक तौर पर न दिखाई दे [धारा 486(1)]
- एक सहायक व्यक्ति या उपलब्धता के अंतर्गत कोर्ट रूम डॉग के लिए (धारा 486.1 और 486.7)
- गवाह द्वारा एक अलग कमरे से या पर्दे या अन्य युक्ति के पीछे से गवाही देने के लिए (धारा 486.2)
- नियुक्त किए गए काउंसल द्वारा जिरह कि लिए (जहां आरोपी का वकील न हो) (धारा 486.3)
- किसी गवाह की पहचान का खुलासा न करने के लिए (धारा 486.31)
- जिसे न्यायालय तय करे कि वह गवाह की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और अन्यथा न्याय के उचित प्रशासन के हित में हो (धारा 486.7)

*कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ़ राइट्स* की धारा 13 और 19 में व्यवस्था है कि सभी पीड़ितों को यह अधिकार है कि वे अपराध के संबंध में गवाह के रूप में पेश होते समय, कानून में दी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रमाणित करने में सहायक चीजें मांग सकते हैं।

## पुष्टि करने वाले प्रमाण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुनवाई में सभी पुष्टि करने वाले प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं, क्राउन काउंसल को उचित प्रयास करने चाहिए।

## सजा देना

*क्रिमिनल कोड की धारा 722, [विक्टिम्स ऑफ़ क्राइम एक्ट](#) की धारा 4, तथा [कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ़ राइट्स](#) की धारा 15 और 19 के अनुसार, पीड़ितों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे पीड़ित प्रभाव विवरण तथा जानकारी उपलब्ध कराएं।*

क्राउन काउंसल को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे मामलों में, जिनमें एक व्यक्ति का दुर्व्यवहार शामिल है, जिसमें व्यक्ति मूल और महिला है, समेत अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण कमजोर (संवेदनशील) है, इसलिए अदालत आचरण की निंदा और रोक लगाने के उद्देश्यों पर पहले विचार करेगी, जो कि *आपराधिक कोड* की धारा 718.04 के अनुसार अपराध का आधार बनते हैं।

*क्रिमिनल कोड* की धारा 718.2 में दिए गए भड़काऊ कारकों सहित, सभी प्रेरक कारक न्यायालय के ध्यान में लाए जाने चाहिए।

इसके अलावा, धारा 718.2(a)(i) में निर्धारित किए गए अनुसार, जहां इस बात का सबूत है कि पीड़ित के प्रति अपराध तरफ़दारी, पूर्वाग्रह या पीड़ित के प्रति घृणा से प्रेरित था, इसलिए क्राउन काउंसल को *हेट क्राइम्स (HAT 1)* का हवाला देना चाहिए और सभी भड़काऊ प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए।

यदि परिवीक्षा अथवा सशर्त सजा का आदेश उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को ऐसी शर्तें प्राप्त करनी चाहिए जिनसे कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह को सुरक्षा मिलती हो। इनमें "कोई संपर्क नहीं" और रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं, और साथ ही किसी उपयुक्त उपचार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल हो सकता है।

यदि हिरासत की सजा उपयुक्त हो, क्राउन काउंसल को धारा 743.21 के तहत एक संप्रेषण से मनाही का आदेश प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए जिसमें अपराधकर्ता के लिए सजा की हिरासत अवधि के दौरान कमजोर स्थिति वाले पीड़ित या गवाह के साथ संप्रेषण करना निषिद्ध हो।

क्राउन काउंसल को विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 738 अथवा 739 के तहत क्षतिपूर्ति आदेश (रेस्टिट्यूशन ऑर्डर) उचित रहेगा और पीड़ितों को यह बताने का अवसर देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि क्या वे अपने घाटे और क्षति के लिए मुआवजा मांग रहे हैं।